भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 291472

लालजी एजुकेशनल सोसाईटी

न्यास विलेख (**Trust Deed**)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 10.11.2020 को **श्री लालजी यादव पुत्र लौहारी यादव**, ग्राम– सैदखानपुर, पोस्ट– केराकत, जिला– जौनपुर द्वारा घोषित किया गया।

जिन्हें आगे न्यासकर्ता / संस्थापक कहा जायेगा क्योंकि न्यासकर्ता / संस्थापक पर रू0 6,000/– (छः हजार रु0 मात्र) की राशि है। जिसे कि वह पुरूषार्थ एवं सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। न्यासकर्ता / संस्थापक उक्त राशि का अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक हैं जो कि समाज उत्थान हेतु सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक आदि दृष्टिकोण के आधार पर संस्थाहित, जनहित एवं समाजहित को ध्यान मे रखते हुए शिक्षा क्षेत्र के साथ–साथ अन्य क्षेत्रों जैसे प्राविधिक, उच्च चिकित्सा व्यवसायिक आदि क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य करेगा। जिसको आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा, क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा, जिसे कि आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता / संस्थापक की यह भी इच्छा है कि व विभिन्न स्रोतों से दान, उपकार, ऋण आदि भी सम्मिलित है, जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता / संस्थापक अपनी इच्छा के अनुकूल रू0 6,000/– (छः हजार रु0 मात्र) की नकद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है, क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट

लालजी यादव

क्रमांक 692 दिनांक 10-11-2020
स्टाम्प की धनराशि उद्देश्य शपथ पत्र
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता लालजी यादव पुत्र लौहरी यादव ग्रा. सैदखानपुर पर. 50 [illegible]

[illegible signature] 26 - [illegible]

स्टा० वे० 361
कचहरी केराकत, जौनपुर

SENIOR
TREASURY OFFICER
23 OCT 2020
JAUNPUR

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BZ 291473

का पंजीकृत कार्यालय ग्राम–पीपरी, पोस्ट–पेराारा, तहसील– केराकत, जिला–जौनपुर (उत्तर प्रदेश) में रहेगा एवं अपनी इच्छानुसार अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय को समय–समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा, क्योंकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जा सकता है।

लालजी एजूकेशनल सोसाइटी

(इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्य एवं नियमावली:

(1) **ट्रस्ट के उद्देश्य:** ट्रस्ट निम्न उददेश्यों के पूर्ति के लिए कार्य करेगा–

1. बिना लिंग भेद किये सबके लिए प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाईस्कूल, इण्टर मीडिएट कालेज, डी0एल0एड0 कालेज, बी0एल0एड0 कालेज, बी0एड0 कालेज, नर्सिंग कालेज, मेडिकल कालेज, संस्कृत महाविद्यालय, व्यवसायकि शिक्षा, महाविद्यालयों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रितों, सामुदायिक विकास केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रों की स्थापना नामकरण, विकास सम्बद्ध आबद्ध, प्रबन्ध संचालन आदि कर सकता है तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों प्रतिष्ठानों, संस्थानों, शासन आदि से उन्हें सम्बद्ध, आबद्ध, पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत, करा सकना।
2. ग्राम विकास अभिकरण गतिविधियों का संचालन करना।
3. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना।
4. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोक कर जल संरक्षा एवं नमी संरक्षण करना।
5. उद्यानीकरण एवं जंगलात का विकास करना।
6. महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना।
7. प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।
8. कृषि संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।
9. किसी भी समान (तरल एवं ठोस) क खरीद एवं बिक्री करना।
10. पत्थर के खनन का कार्य कराकर भूमि को उपजाऊ योग्य बनाना।

लालजी पाठक

क्रमांक 693 ... दिनांक 10-11-2020
स्टाम्प की धनराशि ...
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ...

SENIOR TREASURY OFFICER
2 3 OCT 2020
JAUNPUR

आवेदन सं॰: 202000986006151

न्यास पत्र

बही स॰: 4 **रजिस्ट्रेशन स॰: 75** **वर्ष: 2020**

प्रतिफल- 6000 स्टाम्प शुल्क- 600 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 180

श्री लालजी एजु॰सो॰ब॰अ॰लालजी यादव ,
पुत्र श्री लौहारी यादव
व्यवसाय : कृषि
निवासी: सा॰ सैदखानपुर परगना व तहसील केराकत जिला जौनपुर

लालजी यादव

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 10/11/2020 एवं 11:53:03 AM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

डी॰ के॰ अग्रवाल
उप निबंधक :केराकत
जौनपुर
10/11/2020

जौनपुर केराकत लिपिक
निबंधक लिपिक

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 291474

11. ट्रस्ट के माध्यम से जीवन बीमा एवं सामान्य बीमा का कार्य कराकर भारत सरकार का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करना एवं लोगों को बीमा से लाभान्वित करना।

12. उपहार के वस्तुओं का निर्माण एवं विक्रय कार्य कराना।

13. कबाड़ा की सामानो को इकट्ठा करके फर्नीस भट्ठियों का निर्माण करके उनको गलाकर वातावरण को दूषित होने से बचाना, पर्यावरण की सुरक्षा करना ट्रस्ट का सर्वात्तम कार्य होगा जो कि मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी कार्य है।

14. केन्द्र सरकार के सभी विभागों, मानव संसाधन, समाज कल्याण, नाबार्ड, कपार्ट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र, खेलकूद युवा कल्याण मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यक्रम का संचालन करना।

15. आई0आई0टी0, पालिटेक्निक, इंजीनियरिंग, प्रबन्धन, फार्मेसी, नर्स ट्रेनिंग आपरेटर टेक्निशियन, लैब टेक्निशियन, फिजियोथिरैपी आदि मेडिकल कालेजों एवं इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना।

16. समाज के लोगों के लिए हास्टल, नर्सिंगहोम, स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, किराना की दुकान, फोटोस्टेट, टाइपिंग, कम्पनी, फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना।

17. पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन, मुद्रण, विक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।

18. अंधे, गूंगे, बहरे, असहाय लोगों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना व स्पेशल एजुकेशन (विशेष शिक्षा) एंव विद्यालय संचालित करना व उनके पुर्नवास के लिए सम्पूर्ण व्यवस्था करना।

19. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों यथा व्यवहारिक, प्रायोगिक, कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीड़ा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।

20. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र–छात्राओं को सफल बना कर स्वावलंम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन, आवास आदि सुविधाओं का व्यवस्था करना।

लालजी मा...

Scanned with OKEN Scanner

क्रमांक 699 .... दिनांक 16-1-2020
धनराशि उद्देश्य ....
खरीदार का नाम व पूरा पता .... प्रा०सा०-692

तहसील केराकत, जौनपुर

SENIOR TREASURY OF[FICER]
23 OCT
JAUNP[UR]

आवेदन सं०: 202000986006151

बही सं०: 4 **रजिस्ट्रेशन सं०: 75** **वर्ष: 2020**

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री लालजी एजु०सो०ब०अ०लालजी यादव, पुत्र श्री लौहारी यादव

निवासी: सा० सैदखानपुर परगना व तहसील केराकत जिला जौनपुर

व्यवसाय: कृषि लालजी यादव

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री अरविन्द यादव, पुत्र श्री स्व० जगदीश यादव

निवासी: सा० सैदखानपुर केराकत जौनपुर

व्यवसाय: कृषि अरविन्द कुमार यादव

पहचानकर्ता : 2

श्री शुभम यादव, पुत्र श्री कमलेश यादव

निवासी: सा० मीरपुर केराकत जौनपुर

व्यवसाय: कृषि Shubham

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

डी० के० अग्रवाल
उप निबंधक : केराकत
जौनपुर

जौनपुर केराकत लिपिक
निबंधक लिपिक

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CD 231773

21. पुस्तकों साहित्य, पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन, संम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि कर सकना।
22. सांस्कृतिक पर्यावरण एवं एड्स कार्यक्रम व अधिवेशन, गोष्ठियों, सम्मेलन, प्रतियोगिताएं, बैठकें, विशेष कक्षाएं, सत्र प्रोत्साहन आदि कार्यक्रम आयोजित कर सकना।
23. भण्डार गृहों का निर्माण कर अनाजों, फलों का भण्डारण करना तथा उनका क्रय विक्रय करना।
24. शीत गृहों का निर्माण कर किसानों के फल, सब्जी, आलू, प्याज की सुरक्षा प्रदान करना।
25. किसानों को खसरा, खतौनी इण्टरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना।
26. बैंकिंग का कार्य कराना, लोगों का पैरा जमा कराकर उनको अच्छा रिर्टन देना, उनके पैसों को सुरक्षा प्रदान करना, समय–समय पर गृह ऋण, कृषि कार्य हेतु ऋण, मोटरगाड़ी हेतु ऋण एवं रोजगार करने हेतु ऋण उपलब्ध कराना।
27. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिंटिंग आदि की शिक्षा हेतु शिक्षण–प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना।
28. व्यक्ति विशेष अन्य सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्कृत विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेजों, आई0टी0आई0 कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित करना एवं उनको इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना।
29. ट्रस्ट के उद्येश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों संस्थाओं तथा व्यक्तियों से आर्थिक सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।
30. विधिसम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।
31. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार व प्रसार कर सकना।
32. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास करना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी देना एवं सेमिनार करना।
33. एड्स के बारे में जन जागरण करने हेतु प्रचार–प्रसार कर सकना।
34. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य निर्धारित कर तथा प्राप्त करना।
35. पत्राचार द्वारा अध्ययन, अध्यापन को प्रोस्ताहित कर सकना तथा तत्सविधित आवश्यक व्यवस्थायें कर सकना।

स्टाम्प विक्रय की तिथि 5/11/20 — क्रमांक 2679

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ... [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ... [illegible]

स्टाम्प की धनराशि 500

[illegible]

स्टाम्प विक्रेता [illegible]

SENIOR TREASURY OFFICER

23 OCT 2020

JAUNPUR

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CD 231774

36. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, ऊसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जनचेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।

37. डाक्टर, इंजीनियर, कारपेन्टर, सेन्ट्रिग कारपेन्टर, मेशन, मढ़ई, नाई, मोची, कूकर, ड्राईवर, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, मजदूर को प्रशिक्षण प्रदान करके उनको विदेशा जाने के लिए कार्य कराना, जिससे उनको रोजगार मिल सके एवं देश का विकास हो से।

38. कुटिर लघु उद्योगों के माध्यम से असाहय तथा गरीब लोगों को रोजगार देना जिससे वह अपना जीवन यापन कर सके।

39. किसानों का उन्नतशील बीजों, कीटनाशक दवाओं तथा नये–नये औजारों को सस्ते दरों में उपलब्ध कराना।

40. समय–समय पर किसान संगोष्ठी का आयोजन कर उनको जागरूप करना।

41. किसानों को रासायनिक खादों (डाई, यूरिया, पोटाश, जिंक फास्फेट, कार्बनिक खाद, कम्पोस्ट खाद) इत्यादि को समय–समय पर उपलब्ध कराकर उनको लाभान्वित करना।

42. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोद्धार कर सकना।

43. जनकल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन एवं क्रियान्वयन कर सकना।

44. विभिन्न आयोजनाओं एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति, पुरस्कार, सहायता एवं वित्तीय सहायक स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।

45. ट्रस्ट जनसामान्य के हित में कार्य करेगा। ट्रस्ट यथासम्भव अपनी उत्पादित वस्तुएं लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खड़न्जा, तालाबों का निर्माण कर मछली पालन, पशु पालन तथा मुधमक्खी पालन आदि प्रचार प्रसाद करेगा तथा भवन निर्माण, शहरों में कालोनी बनाकर सस्ते दरों पर उपलब्ध कराना।

46. ट्रस्ट अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु जन कल्याण एवं राष्ट्रकल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वयन करेगा।

47. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्येश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।

48. सस्ते दरों पर लोगों को सब्जी तथा फल उपलब्ध कराना।

49. लोगों को दो पहिया, चार पहिया एवं हैवी वाहन अपनी एजेन्सी के माध्यम से सस्ते दरें पर

स्टाम्प विक्रय की तिथि 5/1/12 क्रमांक...2080
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन... ...Agr
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता... ...Mr 2019

[illegible] की हस्ताक्षर

राजेश कुमार पाण्डेय
स्टाम्प विक्रेता ला. नं.-[illegible]
[illegible]

SENIOR TREASURY OFF[illegible]
23 OCT 20[illegible]
JAUNPU[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CD 231775

उपलब्ध कराना जिससे कम लागत पर लोगों को वाहन उपलब्ध हो सके।

50. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेज/इंजीनियरिंग कालेजों का विशेषाधिकार प्राप्त करना, तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान करना एवं संचालित करना।

51. किसी भी पुरानी संस्था जो संचालित होने में अक्षम हो, को अपने में समाहित करके संचालित करने का अधिकार होगा।

53. ट्रस्ट के नाम ली गई भूमि का क्रय विक्रय करना तथा, रीयल स्टेट, ईंट उद्योग आदि करना।

(2) **प्रारम्भिक उपबन्धः**

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से **लालजी यादव पुत्र स्व0 लौहारी यादव** को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है।

2. **श्री लालजी यादव** द्वारा रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित किया जाता है कि मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष राजबहादुर यादव पुत्र लालजी यादव निवासी ग्राम–सैदखानपुर, केराकत, जौनपुर ही ट्रस्ट के उत्तराधिकारी होंगे।

3. वर्तमान में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित कर सकता हैं।

(3) **मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/हस्तानान्तरणः**

1. मैंनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवनकाल में उत्तराधिकारी राजबहादुर यादव पुत्र लालजी यादव ग्राम–सैदखानपुर, केराकत, जौनपुर को मैंनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष की घोषणा किया जाता है।

2. मैंनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवनकाल में ही मैंनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता है।

3. किसी भी व्यक्ति के मैंनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे, जो कि इस ट्रस्ट डीड के मैंनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये।

4. मैंनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर्ड करा के अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी यह सुनिश्चित कर सकता है कि अपने जीवन काल में उत्तरार्द्ध में की गई वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।

लालजी यादव

Scanned with OKEN Scanner

स्टाम्प विक्रय की तिथि 8/11/20 क्रमांक 2081

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible] m 2079

स्टाम्प की आकृति [illegible]

[illegible] कुमार यादव

स्टाम्प विक्रेता [illegible]

[illegible]

SENIOR TREASURY OFFICER

23 OCT 2020

JAUNPUR

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CD 231776

5. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा।

(4) **बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजः**

1. यहकि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार विमर्श एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है। जिसमें कि अधिकतम 11 सदस्य होंगे।
2. यह कि जो व्यक्ति 500/– रु0 चन्दा देगा वह एक वर्ष के लिए तथा जो 2000/–रु0 चन्दा देगा वह आजीवन के लिए सदस्य बन जायेगा।
3. यहकि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल नष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताये, ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।
4. यहकि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं करेगा।
5. यहकि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा, जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यहकि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा किये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

(5) **अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधाएंः**

1. यहकि अध्यक्ष/ट्रस्टी को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिशित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।
2. यहकि ट्रस्टी/अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि पर यदि कोई आय–कर लगता है तो ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अपने प्राप्त आय से ही आय कर का भुगतान

स्टाम्प विक्रय का स्थान 8/11/20 क्रमांक 2083

स्टाम्प क्रय करने का पूरा ... 2019

स्टाम्प ... का नाम व पूरा पता ...

... की हस्ताक्षर

राजेश कुमार ...

स्टाम्प विक्रेता ला० नं०-RK

... कलेक्ट्रेट ...

SENIOR TREASURY OFFI[CE]

23 OCT 20[...]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

CD 231778

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

9. यह कि सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष किसी भी समय बिना कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक विधिक/अनुशासनात्मक/ प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

(10) **अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्यः**

यह कि इस ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत अध्यक्ष/ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न आधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष/ट्रस्टी के निम्न अधिकार व कर्तव्य भी होंगे–

1. बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।
2. इस ट्रस्ट डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्येश्यों एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।
3. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अनुपस्थिति में सारे कार्यों की देख–रेख अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य द्वारा किया जायेगा।
4. चल एवं अचल समपत्ति का क्रय एवं विक्रय करने का अधिकार।

(11) **बैंक एकाउण्टः**

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है या संचालित कर सकता है।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित या कार्यरत किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय, संस्थान, केन्द्र, कार्यक्रम इकाई, कार्यालय, का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है या संचालित किया जा सकता है।

(12) **विधिक कार्यवाहीः**

यह संस्था/ट्रस्ट की तरफ से काई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता है।

लालजी यादव

Scanned with OKEN Scanner

स्टाम्प विक्रय की तिथि 8/11/2- क्रमांक 2084

[illegible]

स्टाम्प विक्रेता [illegible]

SENIOR TREASURY OFFICER

23 OCT 2020

JAUNPUR

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

CD 231779

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(13) **सम्पत्ति सम्बन्धी:**

1. ट्रस्ट चल–अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक या व्यक्ति को प्राप्त होता है।
2. ट्रस्ट की ओर से चल–अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई निर्णय लेने, लेख–विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
3. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, आग्रह, भेंट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।
4. ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक, संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में धन या सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है। तथा ट्रस्ट द्वारा ऋण दान, उपहार, आग्रह भेट, सम्मान, स्मृति चिन्ह को कही भी खर्च कर सकता है। तथा आय व्यय, हिसाब रखना ट्रस्टी/अध्यक्ष का अधिकार है।
5. चल–अचल सम्पत्तियों का विक्रय करने का सम्पूर्ण दायित्व अध्यक्ष, का होगा।
6. वर्तमान में ट्रस्ट के पास 6,000/– (छः हजार रु0) की पूंजी है।
7. अध्यक्ष द्वारा किसी सदस्यों के विक्रय चल एवं अचल सम्पत्ति का क्रय करने हेतु नामित कर सकता है। जिसका सम्पूर्ण हक ट्रस्ट के अध्यक्ष का होगा है।

(14) **विशेष:**

अध्यक्ष कोई भी निर्णय ले सकता हैं जो कि सर्वमान्य होगा।

ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं नियमावली एतद् द्वारा अधिनियम अनुमोदित घोषित, स्वीकृत, आत्मसमर्पित एवं तत्काल से क्रियान्वित की जाती है। उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में जाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गए हैं। उक्त ट्रस्ट भारतीय अधिनियम के तहत मान्य है ।

(श्री लालजी यादव)
ट्रस्टी–लालजी एजूकेशनल सोसाईटी

लालजी यादव

Scanned with OKEN Scanner

SENIOR TREASURY OFFICER
23 OCT 2020
JAUNPUR

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

-11-

CD 231780

र प्रदेश UTTAR PRADESH

साक्षीगणः अरविन्द कुमार यादव

1. नामः अरविन्द यादव पुत्र स्व0 जगदीश यादव
पताः ग्राम–सैदखानपुर,
परगना व तहसील–केराकत, जिला–जौनपुर।
मो0नं0– 7380788013

Shubham

2. नामः शुभम यादव पुत्र कमलेश यादव
पताः ग्राम–- मीरपुर,
परगना व तहसील–केराकत, जिला–जौनपुर।
मो0नं0– 8009424442

Scanned with OKEN Scanner

स्टाम्प विक्रय का दिनांक 6/11/20 क्रमांक 2086

स्टाम्प क्रय करने का उद्देश्य

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता

स्टाम्प की धनराशि 50

राजेश कुमार

स्टाम्प विक्रेता ला० नं०

SENIOR TREASURY OFFICER

23 OCT 2020

JAUNPUR

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

CD 231781

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

टंकणकर्ता– राम कुमार गौतम, "टाइपिंग प्वाइंट" केराकत, जौनपुर।

मसविदाकर्ता– विनोद कुमार एडवोकेट, तहसील–केराकत, जिला–जौनपुर।

Scanned with OKEN Scanner

SENIOR TREASURY OFFICER
23 OCT 2020

आवेदन सं०: 202000986006151

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 40 के पृष्ठ 291 से 314 तक क्रमांक 75 पर दिनाँक 10/11/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

डी० के० अग्रवाल
उप निबंधक : केराकत
जौनपुर
10/11/2020

Scanned with OKEN Scanner